

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/22966

जयपुर, दिनांक: 15/6/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 120 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये सभी नगरीय निकायो को निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकाय क्षेत्रो में स्थित जिन भूखण्डो पर बहुमंजिला फ्लेट/कॉम्प्लेक्स में भवन निर्माता द्वारा फ्लेट्स/दुकाने/ऑफिस पृथक-पृथक अन्य व्यक्तियों को विक्रय करके स्वामित्व हस्तान्तरण कर दिया है तो ऐसी स्थिति में भूखण्ड पर लीज की देयता पूर्व भू-स्वामी की नहीं होकर आनुपातिक रूप से सभी वर्तमान में काबिज क्रेताओ की होगी। ऐसी क्रेताओ की सूची एवं विक्रय के प्रमाणित तथा विधिक स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पूर्व भू-स्वामी (विक्रेता) द्वारा नगरीय निकाय में प्रस्तुत करने पर लीज राशि उक्त क्रेताओ/अधिभोगीयो से वसूल की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2017/ प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
22967-23420 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
दिनांक: 15/6/17

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
05. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज।
06. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
07. जन्म सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी